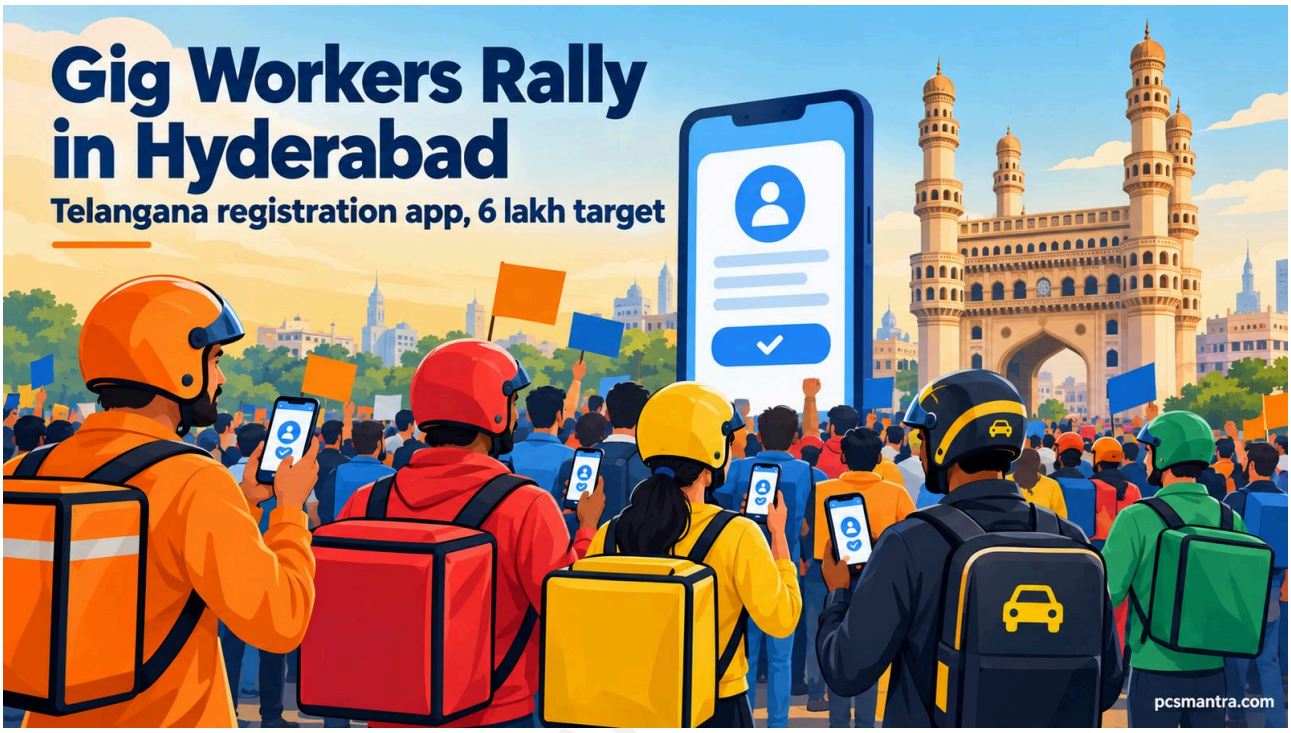
गिग वर्कर्स की हैदराबाद रैली: तेलंगाना का पंजीकरण-ऐप, 6 लाख का लक्ष्य

प्रकाशित: 13 नवंबर 2026 · pcsmantra.com



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

13 नवंबर 2026: तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने 14 नवंबर को हैदराबाद में एक बड़ी रैली और हड़ताल की घोषणा की है। माँगें हैं: सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार और कल्याणकारी उपाय। यूनियन के पदाधिकारी शेख सलाउद्दीन ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, और इस मौके पर कल्याण से जुड़ी घोषणाएँ संभावित हैं।

रैली की पृष्ठभूमि में तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स अधिनियम, 2026 है, जिसके नियम तैयार हो चुके हैं और जिसके क्रियान्वयन के लिए कल्याण बोर्ड के गठन और पंजीकरण-ऐप की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 6 लाख गिग वर्कर्स का पंजीकरण करना है।

गिग वर्कर कौन होता है

गिग वर्कर वह व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर, अस्थायी या कार्य-आधारित काम करता है — जैसे ऐप-आधारित डिलीवरी, कैब चालन या फ़्रीलांस सेवाएँ। जब काम किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (ऐप) के माध्यम से मिलता है तो उसे **प्लेटफ़ॉर्म वर्क** कहा जाता है।

इस वर्ग की खासियत है लचीलापन, और समस्या है असुरक्षा: न निश्चित वेतन, न पारंपरिक कर्मचारियों जैसी पेंशन-बीमा जैसी सुविधाएँ। यही असुरक्षा इन कर्मचारियों के संगठित होने और कानून बनने की मूल वजह है।

तेलंगाना का कानून और नई पहल

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स अधिनियम, 2026 श्रमिक अधिकारों का कानूनी ढांचा देता है, जिसके केंद्र में हैं:

अनिवार्य पंजीकरण: हर गिग वर्कर का पंजीकरण, जिसके लिए राज्य सरकार एक समर्पित ऐप ला रही है; लक्ष्य लगभग 6 लाख पंजीकरण का है।

सामाजिक सुरक्षा लाभ: पंजीकृत श्रमिकों के लिए सुरक्षा-योजनाओं का प्रावधान।

समर्पित कल्याण बोर्ड: श्रमिकों के हितों की निगरानी और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड का गठन प्रक्रियाधीन है।

शिकायत निवारण तंत्र: श्रमिकों की शिकायतों के प्रभावी समाधान की व्यवस्था, जिसमें ऐप की भी भूमिका होगी।

कानून के नियम तैयार हो चुके हैं, यानी क्रियान्वयन का चरण शुरू हो चुका है; रैली इसी से जुड़ी माँगों को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है।

राष्ट्रीय ढांचा: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

राष्ट्रीय स्तर पर **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security)** ने पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर को कानून में मान्यता दी। संहिता इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने का प्रावधान करती है, जिनमें योगदान प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों (एग्रीगेटर) से भी लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कई व्यावहारिक चुनौतियों से जूझ रहा है: अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले श्रमिक की कुल कमाई और कार्य-अवधि की ट्रैकिंग, योगदान की गणना, और **पोर्टेबल बेनिफिट्स** — यानी ऐसे लाभ जो श्रमिक के साथ एक प्लेटफ़ॉर्म या शहर से दूसरे में जाने पर भी बने रहें।

चुनौतियाँ

पहचान और डेटा: एक ही श्रमिक कई ऐप पर काम करता है; पंजीकरण और योगदान-गणना दोनों के लिए सटीक डेटा चाहिए।

वित्तपोषण: कल्याण कोष में राज्य, प्लेटफ़ॉर्म और श्रमिक के योगदान का संतुलन तय करना कठिन है।

क्रियान्वयन की गति: कानून बनने और नियम तैयार होने के बावजूद बोर्ड-गठन, ऐप और वास्तविक लाभ तक पहुँचने में समय लगता है — रैली इसी देरी के विरुद्ध दबाव भी है।

आगे की राह

नज़र 14 नवंबर की रैली और उसमें संभावित घोषणाओं पर रहेगी। इसके बाद तेलंगाना में कल्याण बोर्ड के गठन, पंजीकरण-ऐप के लॉन्च और 6 लाख पंजीकरण के लक्ष्य की प्रगति देखनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबल बेनिफिट्स और योगदान-गणना के समाधान तेलंगाना के अनुभव से दिशा ले सकते हैं।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न1: गिग वर्कर (gig worker) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गिग वर्कर पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर कार्य-आधारित काम करते हैं

2. भारत में गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में मान्यता मिली

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों